भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2652

09.03.2026 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन

2652. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः
श्री बी.के. पार्थसारथीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त नियमों के अनुपालन में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (यूआरबी) पोर्टल के अंतर्गत ऐसे कितने शहरी स्थानीय निकाय पंजीकृत हैं और उनके अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट पृथक्करण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए अनुमोदित विशिष्ट परियोजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश भर में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, प्लास्टिक मुक्ति अभियानों के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, जिला स्तरीय पंचायत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके ऑनलाइन जमा करेगी।

नियमों के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4972 स्थानीय निकायों में से 4858 स्थानीय निकायों ने वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर दी है। इसी प्रकार, 665 जिला पंचायतों में से 586 जिला पंचायतों और 36 एसपीसीबी/पीसीसी में से 23 एसपीसीबी/पीसीसी ने वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर दी है। वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा करने वाले एसपीसीबी/पीसीसी का विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(ख) नियमों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

(ग) केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 1,659 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत यूएलबी की राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र वार सूची अनुलग्नक III में दी गई है।

(घ) एवं (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया, जिसमें कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा-करकट फैलाने की क्षमता वाले चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट पृथक्करण सहित अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पूर्व एक महीने तक चले अभियान के तहत देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 'प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक मदों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का एक संकलन' तैयार किया, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर जारी किया गया। इस संकलन

में देश भर में फैली लगभग 1000 इकाइयों का विवरण दिया गया है। यह संकलन व्यापक प्रसार और उपयोग के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले ही कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक आईएस 18267 अधिसूचित किया था।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान (एनपीपीआरसी) भी दिनांक 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए गतिविधियाँ शामिल थीं। इन गतिविधियों में सरकारी कार्यालयों में, विशेष रूप से अभियान 5.0 के दौरान, अनावश्यक एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वच्छ आंध्र निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसबीएम की सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) और क्षमता निर्माण घटकों के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पर्यावरण अनुकूलन विकल्पों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए और कचरे के स्त्रोत पृथ्थकरण तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए गए हैं। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(च) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी छत्तीस राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास दिए जाने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के कार्य बल का भी गठन किया गया है।

(ii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक कच्चे माल निर्माताओं को भी चिन्हित प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

(iii) देश में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिचालन में हैं: (क) व्यापक कार्य योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक उन्मूलन पर अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(iv) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने को कहा गया है। ये अभियान फल और सब्जी बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों आदि पर लागू होंगे। संबंधित अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की ज़ब्ती और जुर्माना लगाना शामिल है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रदान किए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, जुलाई 2022 से अब तक कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं और 1985 टन प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं जब्त की गई हैं तथा कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अनुलग्नक I

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जमा करने वाले एसपीसीबीएस/पीसीसीएस की लिस्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	असम
2	बिहार
3	चंडीगढ़
4	छत्तीसगढ
5	दिल्ली
6	गोवा
7	गुजरात
8	हिमाचल प्रदेश
9	जम्मू और कश्मीर
10	कर्नाटक
11	केरल
12	लद्दाख
13	मध्य प्रदेश
14	मणिपुर
15	मेघालय
16	मिजोरम
17	नगालैंड
18	ओडिशा
19	पुदुचेरी
20	पंजाब
21	सिक्किम
22	तमिलनाडु
23	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक II

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक रिपोर्टिंग की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	यूएलबी की कुल संख्या	फॉर्म V भाग क जमा करने वाले यूएलबी की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1	1
2	आंध्र प्रदेश	124	123
3	अरुणाचल प्रदेश	35	8
4	असम	115	114
5	बिहार	270	261
6	चंडीगढ़	1	1
7	छत्तीसगढ	191	191
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	3
9	दिल्ली	5	3
10	गोवा	14	14
11	गुजरात	167	166
12	हरियाणा	89	87
13	हिमाचल प्रदेश	66	66
14	जम्मू और कश्मीर	80	80
15	झारखंड	50	50
16	कर्नाटक	317	316
17	केरल	94	94
18	लद्दाख	2	2
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	417	417
21	महाराष्ट्र	417	401
22	मणिपुर	27	24
23	मेघालय	12	7
24	मिजोरम	23	22
25	नगालैंड	39	33
26	ओडिशा	115	115
27	पुदुचेरी	5	5
28	पंजाब	169	169

29	राजस्थान	261	259
30	सिक्किम	7	7
31	तमिलनाडु	651	651
32	तेलंगाना	163	162
33	त्रिपुरा	20	20
34	उत्तर प्रदेश	779	760
35	उत्तराखंड	112	103
36	पश्चिम बंगाल	131	123

अनुलग्नक III

ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत यूएलबी
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1
असम	5
बिहार	8
छतीसगढ	154
गोवा	14
गुजरात	154
हिमाचल प्रदेश	57
कर्नाटक	318
केरल	90
मध्य प्रदेश	3
ओडिशा	115
पांडिचेरी	1
तमिलनाडु	158
उत्तर प्रदेश	577
उत्तराखंड	4
कुल योग	**1659**

****